न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 81 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2024 / 204

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
कमलेश पुत्र चुतराराम वगैरह	बाबुलाल पुत्र जालाराम वगैरह

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 25.09.2024

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 04.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सांकड़, पटवार हल्का—सांकड़, तहसील—सांचौर में प्रार्थीगण की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खाता संख्या 276 के खसरा नंबर 104 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 20.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 897 / 2349 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 897 / 2350 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 898 रकबा 2.80 हैक्टेयर कुल रकबा 23.87 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थीगण की दादी सुगणीदेवी पत्नी जालाराम के हिस्से की भूमि अर्थात् 1 / 12 हिस्से में प्रार्थीगण का 1 / 2 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्ध हकहकूकों का आया हुआ है, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थीगण का स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थना—पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। सुगणी देवी पत्नी जालाराम को प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि व प्रार्थीगण के पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हिस्से को बैचान करनें या विनियम करनें, रहन, तर्क करनें का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 बाबुलाल नें कई बार हमें ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है आप कब्जा खाली कर दो अन्यथा आपको जबरन बेदखल कर कब्जा कराएंगे जिससे ऐसा करने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को ऐलानिंया धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त संपूर्ण भूमि को बैचान, रहन कर देगें तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करेंगें जिससे प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा पानें का हकदार होने से दावा पेश किया जा चुका है, जिससे प्रार्ीगण का कानूनी जीत सुनिश्चित है। अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें एवं न ही करावें। वादग्रस्त आराजी का बैचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करें तथा

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

अप्रार्थी संख्या 7 व 8 व वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सांकड़, पटवार हल्का–सांकड़ के खाता संख्या 276 के खसरा नंबर 104 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 106 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 107 रकबा 20.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 897/2349 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 897/2350 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 898 रकबा 2.80 हैक्टेयर कुल रकबा 23.87 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **04.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर